न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक 22/4/2024
8 / 2024	09.02.2024	

1. मांगीलाल पुत्र तिलाराम
2. डूंगरराम पुत्र तिलाराम
3. शिवाराम पुत्र तिलाराम
4. रामूराम पुत्र मांगीलाल

सभी जातियान मेघवाल निवासीगण सियांदा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण

प्रार्थीगण: —

बनाम

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी जोराराम
2. दरियाव पत्नी बागाराम

जातियान मेघवाल निवासीगण सोलंकिया तला तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण

3. कमलादेवी पत्नी दीपाराम
4. नाजूदेवी पत्नी दमाराम

जातियान मेघवाल निवासीगण खिरजा भोजा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण

5. रावलराम पुत्र तिलाराम

जाति मेघवाल निवासी सियांदा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण

अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नक्शा शुद्धि व रिकॉर्ड संशोधन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 20:26:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
शेरगढ

Scanned with OKEN Scanner

|| निर्णय ||

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानसिंह उपस्थित–

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई–

अप्रार्थी संख्या 6 हाजिर–

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम सियांदा पटवार हल्का भाण्डू जाटी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र शेरगढ़ तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर वर्तमान ग्राम शिवपुरा पटवार हल्का सियांदा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र खिरजा खास तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण में प्रार्थीगण का पुश्तैनी सामलाती खेत जमांबदी संवत 2062–65 के अनुसार खसरा नम्बर 224, 225 कुल रकबा 129.02 बीघा भूमि आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 व अप्रार्थी संख्या 5 का 1/4–1/4 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 4 प्रार्थी मांगीलाल का पुत्र है, उक्त सामलाती खेत का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 ने राजी खुशी से पारिवारिक समझौता कर अपने कब्जे व काश्त अनुसार बंटवाड़ा विधि अनुसार तहसीलदार शेरगढ़ के समक्ष दिनांक 02.02.2008 को प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर प्रार्थीगण का खेत का निम्नानुसार विभाजन हुआ–

–1

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
मांगीलाल पुत्र तिलाराम मेघवाल सा.देह खातेदार	225/4 225/9 225/8	29.12 बीघा 0.12 बीघा 2.01 बीघा	बा–IV बा–IV बा–IV	1.95
कुल रकबा	3	32.05 बीघा		1.95

2

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
डूंगरराम पुत्र तिलाराम मेघवाल सा.देह खातेदार	225/5 225/7	28.13 बीघा 3.12 बीघा	बा–IV बा–IV	1.95
कुल रकबा	2	3[illegible]		1.95

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 20:26:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)

Scanned with OKEN Scanner

--3

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
रावलराम पुत्र तिलाराम मेघवाल सा.देह खातेदार	225	32.06 बीघा	बा–IV	1.96

--4

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
शिवाराम पुत्र तिलाराम मेघवाल सा.देह खातेदार	224 225/3 225/6	0.07 बीघा 24.01 बीघा 7.17 बीघा	गै मु ढाणी बा–IV बा–IV	1.95
कुल रकबा	3	32.05 बीघा		1.95

बंटवाड़े के साथ खसरा नम्बर 224, 225, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9 का नजरी नक्शा बनाया गया उपरोक्त बंटवाड़े तथा नजरी नक्शे को तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा तस्दीक कर उक्त बंटवाडे को हल्का पटवारी द्वारा जरिये नामान्तरण से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया तथा नक्शे में भी संलग्न नजरिये नक्शे अनुसार तरमीम की गई। वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त बंटवाड़े व तरमीम अनुसार ही कब्जा काबिज है, उक्त बंटवाड़े के 13 वर्ष पश्चात अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने हक व हिस्से में से 10 बीघा भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को खसरा नम्बर 225 में से दिनांक 02.09.2021 को किया। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 को 3 बीघा, अप्रार्थी संख्या 2 को 2.00 बीघा, अप्रार्थी संख्या 3 को 2.10 बीघा भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 4 को 2.10 बीघा भूमि इस प्रकार कुल 10 बीघा भूमि का बेचान जरिये बेचान नामे से किया गया। उक्त खेत के बेचान के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 ने अपने हक व हिस्से में से खसरा नम्बर 225 में से बेचान की तरमीम कर खसरा नम्बर 225/10, 225/11, 225/12, 225/[illegible] वाड़ा कर दिनांक 22.10.2021 को तहसीलदार से [illegible] नजरी नक्शा अनुसार दर्ज किया तथा उक्त बंटवाड़े अनुसार ही कब्जा काबिज है। लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 20:26:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी द्वारा ऑनलाईन नक्शा तरमीम करते वक्त खसरा नम्बर 225/10, 225/11, 225/12, 225/13 की तरमीम हम प्रार्थीगण के खसरान पर कर दी है तथा हमारी तरमीम को उलट पूलट कर दिया है। जिससे हम प्रार्थीगण को असुविधा हो रही है तथा भविष्य में विवाद बढने की संभावना है। वर्तमान में नक्शा तरमीम को ऑनलाईन करते वक्त प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी तथा न ही प्रार्थीगण का हस्ताक्षर अगुठा सहमति पत्र इत्यादी है तथा न ही प्रार्थीगण की उपस्थिति में तरमीम की उक्त तरमीम पटवारी हल्का द्वारा बिना पिछला रेकर्ड देखे की गई है जिसमें मौके की स्थिति वर्तमान नक्शे अनुसार नहीं होने से प्रार्थीगण को परेशानी हो रही है ऐसी स्थिति में बंटवाडे के वक्त पर जरिये नजरी नक्शे के अनुसार ऑनलाईन नक्शे में तरमीम किया जाना न्याय संगत है। इसी अनुसार खातेदारान का इन्द्राज किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया की ओर से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सियांदा पटवार हल्का चाबा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र चाबा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में स्थित भूमि खेत खसरा नम्बर 224, 225, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9 की भूमि में बंटवाडे के वक्त संलग्न नजरिये नक्शे के अनुसार ऑनलाईन रेकर्ड व नक्शे में तरमीम शुद्ध करावें तथा अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा बेचान की गई भूमि का वर्तमान में खसरा नम्बर 225/10, 225/11, 225/12, 225/13 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खसरा नम्बर 225 में हुए बंटवाडे में प्रार्थीगण का मौके कब्जा एवं हिस्से अनुसार राजस्व नक्शे में हुई गलत तरमीम को दुरस्त करवाया जाकर वास्तविक नाप तोल मौके पर काबिज अनुसार दस्तावेज के आधार तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार वास्तविक नाप तोल दिशाओं में स्थित अनुसार तरमीम कर बहाल करवाने [illegible] आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थी [illegible] जारी किये गये उसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा [illegible]र्थी संख्या 6 की ओर से

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 20:26:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जबाव पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है— ग्राम सियादा के खसरा नम्बर 224, 225 का बंटवाड़ा सहखातेदारो द्वारा आपसी सहमति से किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 639 भरा जाकर स्वीकृति हुआ जिसका नजरी नक्शा नामान्तकरण पुश्त पर दर्ज है जिसकी प्रति संलग्न है। खातेदार रावलराम पुत्र तिलाराम द्वारा दिनांक 02.09.2021 को अपने हिस्से में से 10 बीघा भूमि का बेचान किया गया जिसका नामान्तरकरण वर्तमान ग्राम शिवपुरा का नामान्तरकरण संख्या 166 भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त बेचान की गई भूमि का बंटवाड़ा सहखातेदारो द्वारा आपसी सहमति से किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 172 भरा जाकर स्वीकृत हुआ जिसका नजरी नक्शा नामान्तरकरण की पुश्त पर दर्ज है जिसकी प्रति संलग्न है दिनांक 02.02.2008 को हुए बंटवाड़ा एवं दिनांक 22.10.2021 को हुए बंटवाड़े के नामान्तरकरण में दर्ज नजरी नक्शे मे भिन्नता है वर्तमान में मौके पर विवाद है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा अप्रार्थी संख्या 6 का जबाव व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, संलग्न दस्तावेजो एव पत्रावली का अवलोकन कर न्यायहित मे अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा परस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार शेरगढ को आदेशित किया जाता है कि मौका रिपोर्ट मे बताये गये तथ्यो के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 639 के पृष्ठ पर अकित नजरी नक्शे तथा नामान्तरकरण संख्या 172 के पृष्ठ पर अंकित नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे तरमीम शुद्धि कर राजस्व रेकर्ड नक्शा मे ऑनलाईन दर्शाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.23 को सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक [illegible]
[illegible]
शेरगढ़ ([illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 20:26:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner